राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2001/2015..जिला..........भरतपुर...

उनवान – मगंलराम विनोद कुमार, नदबई भरतपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–अ, भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज .	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2015	**कैम्प जयपुर** **खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 131/आरवैट/14–15 /अपी.प्राधि./भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.08.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म का दिनांक 03.06.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय वृत अ, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा सर्वेक्षण किया गया। फर्म को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 13.06.2014 के लिये नियमित बही खाते वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। फर्म की लेखा पुस्तकों की जांच के उपरान्त यह पाया गया कि फर्म द्वारा वर्ष 2013–14 की प्रथम व द्वितीय तिमाही में मैसर्स श्री श्याम धनी ट्रेडिग कम्पनी जयपुर टिन नम्बर 08471615538 से सरसों खरीद करना दर्शाकर रूपये 4,47,486/– का आगत कर का दावा किया है जबकि इस राशि का मैसर्स श्री श्याम धनी ट्रेडिग कम्पनी जयपुर के वैट–08ए वर्ष 2013–14 की इस अवधि के प्रपत्र में विकय के रूप में उल्लेख नहीं है। जांच अधिकारी ने राजविस्टा से जांच में यह भी पाया कि विकेता फर्म की डीलर प्रोफाइल रिपोर्ट में कय विकय की वस्तु के रूप में सरसों अंकित नहीं है साथ ही जयपुर स्थित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में भी मैसर्स श्री श्याम धनी ट्रेडिग कम्पनी दुकान नम्बर 10 माया प्लाजा, गुरूनानकपुरा जयपुर जो कि फर्म का घोषित व्यवसाय स्थल है पर भी इस फर्म का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 61 एवं 55 के तहत पारित आदेश दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत राशि रूपये 27,80,443/– का आरोपण किया। उक्त लगातार...........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2001/2015...............................जिला...........भरतपुर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2015	आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2015 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 22,91,128/— की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जतीन हरजाई एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के. बैद की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण बोगस बिलों का प्रतीत होता है केता विकेता द्वारा मिलीभगत की जाकर बिल, बिल्टी व बैंक एन्ट्री तैयार किये जाना प्रतीत होता है। माल के वास्तविक परिवहन होने के साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। फर्म का घोषित व्यवसाय स्थल पर अस्तित्व भी विभागीय जांच में नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने के कारण स्थगन आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावे तथा पत्रावली वास्ते सुनवाई खण्डपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष दिनांक 17.02.2016 को पेश हो। 18-12-2015 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य 18.12.2015 (मदन लाल) सदस्य	